



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2016/माघ 12, 1937

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2016/MAGHA 12, 1937

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

**सं. भा.आ.प. 211 (1)/2010 (नैतिकता)/163013.**—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) (संशोधन) विनियमावली, 2015" कहा जाए ।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. (i) दिनांक 10.12.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित खण्ड 6.8 के शीर्षक को, "और डाक्टरों की व्यावसायिक एसोसिएशन" शब्दों का विलोप करके निम्नलिखित रूप में पुनः संशोधित किया जाएगा :—  
"6.8 फार्मास्यूटिकल एवं संबद्ध स्वास्थ्य सेक्टर उद्योग के साथ उनके संबंधों में डॉक्टरों की आचरण संहिता"
- (ii) दिनांक 10.12.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित खण्ड 6.8.1 (ख) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :—  
"(ख) यात्रा सुविधाएं : कोई चिकित्सक, किसी प्रतिनिधि के रूप में किन्हीं सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सी एम ई कार्यक्रमों आदि में भाग लेने हेतु या छुट्टियों में स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी फार्मास्यूटिकल या संबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योग अथवा उनके प्रतिनिधियों से रेल, सड़क, वायुयान, समुद्री जहाज, परिभ्रमण टिकटों, भुगतान प्रदत्त छुट्टियों आदि सहित देश में या देश के बाहर कोई यात्रा सुविधा प्राप्त नहीं करेगा ।
- (iii) दिनांक 10.12.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथा संशोधित खण्ड 6.8 का उल्लंघन करने के लिए परिषद् द्वारा की जाने वाली कार्यवाई, खण्ड 6.8.1 को निम्नलिखित रूप में पुनः संशोधित करके निर्धारित की जाएगी :—

| खण्ड   | कार्रवाई/दंड  |
|--|---|
| <p><b>6.8.1</b> फार्मास्यूटीकल एवं संबद्ध स्वास्थ्य सेक्टर उद्योग के साथ कार्य व्यवहार में, कोई चिकित्सक नीचे दी गई प्रतिबंध-शर्तों का पालन करेगा :</p>  |   |
| <p><b>क. उपहार :</b> कोई चिकित्सक, किसी फार्मास्यूटीकल या संबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योग और उनके बिक्रीकर्ताओं या प्रतिनिधियों से कोई उपहार प्राप्त नहीं करेगा ।</p>  | <p>1000/-रुपए से अधिक और 5000/-रुपए तक के मूल्य के <b>उपहार :</b> निन्दा (सेन्च्यूर)</p> <p>5000/- रुपए से अधिक और 10000/- रुपए तक के मूल्य के <b>उपहार :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से 3 (तीन) महीने के लिए नाम निकालना</p> <p>10000/- रुपए से अधिक और 50,000/- रुपए तक के मूल्य के <b>उपहार :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से छह महीने के लिए नाम निकालना</p> <p>50,000/- रुपए से अधिक और 1,00,000/- रुपए तक के मूल्य के <b>उपहार :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक वर्ष के लिए नाम निकालना</p> <p>1,00,000/- रुपए से अधिक के मूल्य के <b>उपहार :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नाम निकालना</p>  |
| <p><b>ख. यात्रा सुविधाएं :</b> कोई चिकित्सक, किसी प्रतिनिधि के रूप में किन्हीं सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सी एम ई कार्यक्रमों आदि में भाग लेने हेतु या छुट्टियों में स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी फार्मास्यूटीकल या संबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योग अथवा उनके प्रतिनिधियों से रेल,सड़क, वायुयान, समुद्री जहाज, परिभ्रमण टिकटों, भुगतान प्रदत्त छुट्टियों आदि सहित देश में या देश के बाहर कोई यात्रा सुविधा प्राप्त नहीं करेगा</p> | <p>1000/-रुपए से अधिक और 5000/-रुपए तक की <b>यात्रा सुविधाओं के लिए किया गया व्यय :</b> निन्दा (सेन्च्यूर)</p> <p>5000/- रुपए से अधिक और 10000/- रुपए तक की <b>यात्रा सुविधाओं के लिए किया गया व्यय :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से 3 (तीन) महीने के लिए नाम निकालना</p> <p>10000/- रुपए से अधिक और 50,000/- रुपए तक की <b>यात्रा सुविधाओं के लिए किया गया व्यय :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से छह महीने के लिए नाम निकालना</p> <p>50,000/- रुपए से 1,00,000/- रुपए तक की <b>यात्रा सुविधाओं के लिए किया गया व्यय :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक वर्ष के लिए नाम निकालना</p> <p>1,00,000/- रुपए से अधिक की <b>यात्रा सुविधाओं के लिए किया गया व्यय :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नाम निकालना</p> |
| <p><b>ग. आतिथ्य :</b> कोई चिकित्सक, किसी भी बहाने से स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से होटल आवास जैसा कोई आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा ।</p>   | <p>1000/-रुपए से अधिक और 5000/-रुपए तक <b>आतिथ्य के लिए किया गया व्यय :</b> निन्दा (सेन्च्यूर)</p> <p>5000/- रुपए से अधिक और 10000/- रुपए तक <b>आतिथ्य के लिए किया गया व्यय :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से 3 (तीन) महीने के लिए नाम निकालना</p> <p>10000/- रुपए से अधिक और 50,000/- रुपए तक <b>आतिथ्य के लिए किया गया व्यय :</b> भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से छह महीने के लिए नाम निकालना</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>50,000/- रुपए से अधिक और 1,00,000/- रुपए तक <b>आतिथ्य के लिए किया गया व्यय</b> : भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक वर्ष के लिए नाम निकालना</p> <p>1,00,000/- रुपए से अधिक <b>आतिथ्य के लिए किया गया व्यय</b> : भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नाम निकालना</p>   |
| <p><b>घ. नकदी या आर्थिक अनुदान</b> : कोई चिकित्सक, किसी भी बहाने से व्यक्तिगत हैसियत से व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किसी फार्मास्यूटीकल एवं संबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योग से कोई नकदी या आर्थिक अनुदान प्राप्त नहीं करेगा । एक पारदर्शी तरीके से अनुमोदित संस्थानों द्वारा अपनाए गए, कानून/नियमों/दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित की गई रूपात्मकताओं के जरिए, अनुमोदित संस्थानों के माध्यम से चिकित्सा अनुसंधान, अध्ययन आदि के लिए धनराशि प्राप्त की जा सकती है । इसे हमेशा पूरी तरह अभिव्यक्त किया जाएगा ।</p>  | <p>1000/-रुपए से अधिक और 5000/-रुपए तक <b>नकदी या आर्थिक अनुदान</b> : निन्दा (सेन्च्यूर)</p> <p>5000/- रुपए से अधिक और 10000/- रुपए तक <b>नकदी या आर्थिक अनुदान</b> : भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से 3 (तीन) महीने के लिए नाम निकालना</p> <p>10000/- रुपए से अधिक और 50,000/- रुपए तक <b>नकदी या आर्थिक अनुदान</b> : भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से छह महीने के लिए नाम निकालना</p> <p>50,000/- रुपए से अधिक और 1,00,000/- रुपए तक <b>नकदी या आर्थिक अनुदान</b> : भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक वर्ष के लिए नाम निकालना</p> <p>1,00,000/- रुपए से अधिक <b>नकदी या आर्थिक अनुदान</b> : भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नाम निकालना</p> |
| <p><b>ड. चिकित्सा अनुसंधान</b> : कोई चिकित्सक, फार्मास्यूटीकल एवं संबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योगों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाएं चला सकता है, उनमें भाग ले सकता है, उनमें काम कर सकता है । किसी चिकित्सक के लिए यह जानना अनिवार्य है कि उचित और नैतिक होने के लिए उद्योग द्वारा वित्तपोषित कोई अनुसंधान कार्य/परियोजना आरंभ करने हेतु निम्नलिखित (i) से (vii) मदों को पूरा करना अनिवार्य होगा । इस प्रकार ऐसा पद स्वीकार करने में कोई चिकित्सक :</p> <p>(i) यह सुनिश्चित करेगा कि विशेष अनुसंधान प्रस्ताव (वों) के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त है ।</p> <p>(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान प्रस्ताव (वों) के लिए राष्ट्रीय/राज्य/संस्थागत नैतिकता समितियों/निकायों की स्वीकृति प्राप्त है ।</p> <p>(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि वह, चिकित्सा अनुसंधान के लिए निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करता है ।</p> <p>(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तपोषण का स्रोत और धनराशि आरंभ में ही सार्वजनिक रूप से व्यक्त की जाए ।</p> <p>(v) यह सुनिश्चित करेगा कि स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यदि वे अनुसंधान परियोजना (ओं) के लिए आवश्यक हैं ।</p> <p>(vi) यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं पर अनावश्यक प्रयोग न किया जाए और जब ऐसा करना आवश्यक हो तो ऐसे प्रयोग, वैज्ञानिक और मानवोचित तरीके से किए जाएं ।</p> | <p>पहली बार (सेन्च्यूर) और उसके पश्चात् खण्ड के उल्लंघन पर निर्भर करते हुए किसी अवधि के लिए भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से नाम निकालना ।</p>   |

|   |   |
|---|---|
| (vii) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई कार्य स्वीकार करते समय किसी चिकित्सक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी ऐसे कार्य के लिए समझौता ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज/करार में एक खण्ड जोड़कर समाज के वृहत्तर हित में अनुसंधान के परिणाम प्रकाशित कर सकें ।  |   |
| <b>च. व्यावसायिक स्वायत्ता बनाए रखना :</b> फार्मास्यूटिकल एवं संबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योग के साथ कार्य व्यवहार करने में कोई चिकित्सक हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि या तो उसकी अपनी स्वायत्तता और/या चिकित्सा संस्थान की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता न किया जाए ।   | पहली बार (सेन्शयोर) और उसके पश्चात्, भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से नाम निकालना ।   |
| <b>छ. संबद्धता :</b> कोई चिकित्सक, फार्मास्यूटिकल एवं संबद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा उद्योगों के लिए, सलाहकार की हैसियत से, परामर्शदाता के रूप में, अनुसंधाता के रूप में, उपचारी डाक्टर के रूप में या किसी अन्य व्यावसायिक हैसियत से कार्य कर सकता है । ऐसा करने में कोई चिकित्सक हमेशा :<br><br>(i) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी व्यावसायिक निष्ठा और स्वतंत्रता कायम रखी जाए ।<br><br>(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि मरीजों के हित के साथ किसी भी प्रकार से समझौता न किया जाए ।<br><br>(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि यह संबद्धता कानून के दायरे में हो ।<br><br>(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संबद्धताएं/नियोजन पूरी तरह पारदर्शी हों और उन्हें अभिव्यक्त किया जाए । | पहली बार सेंशयोर और उसके पश्चात् खण्ड के उल्लंघन पर निर्भर करते हुए किसी अवधि के लिए भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से नाम निकालना । |
| <b>ज. पृष्ठांकन :</b> कोई चिकित्सक, उद्योग की किसी औषधि या उत्पाद का पृष्ठांकन सार्वजनिक रूप से नहीं करेगा । ऐसे उत्पादों की प्रभावोत्पादकता या अन्यथा पर किया गया कोई अध्ययन, उपयुक्त वैज्ञानिक निकायों को और/या के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा या एक उचित तरीके से उपयुक्त वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा ।”   | पहली बार सेंशयोर और उसके पश्चात् भारतीय मेडिकल रजिस्टर या राज्य मेडिकल रजिस्टर से नाम निकालना ।   |

डॉ. रीना नय्यर, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 100 / 347]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली नामतः "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" भारत के गजट के भाग-III, धारा (4) में दिनांक 6 अप्रैल, 2002 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 22.02.2003, 26.05.2004, और 10.12.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

## MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

**No. MCI-211(1)/2010(Ethics)/163013.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the “Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002:—

- (i) These Regulations may be called the “Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) (Amendment) Regulations, 2015.”

- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002”, the following **additions/modification/deletions/substitutions**, shall be, as indicated therein:-
3. (i) The title of Section 6.8, as amended vide notification dated 10/12/2009, shall be further amended by deleting the words “and professional association of doctors” as under:-

“6.8 Code of Conduct for doctors in their relationship with pharmaceutical and allied health sector industry”

(ii) Section 6.8.1. (b), as amended vide notification dated 10/12/2009, shall be substituted as under:—

(b) **Travel Facilities** : A medical practitioner shall not accept any travel Facility inside the country or outside, including rail, road, air, ship, cruise tickets, paid vacation, etc. from any pharmaceutical or allied healthcare industry or their representatives for self and family members for vacation or for attending conferences, seminars, workshops, CME Programme, etc. as a delegate.

(iii) Action to be taken by the Council for violation of Section 6.8, as amended vide notification dated 10/12/2009, shall be prescribed by further amending the Section 6.8.1 as under:—

“

| SECTION  | ACTION   |
|--|--|
| <p><b>6.8.1</b> In dealing with Pharmaceutical and allied health sector industry, a medical practitioner shall follow and adhere to the stipulations given below:-</p>   |  |
| <p>a) <b>Gifts:</b> A medical practitioner shall not receive any gift from any pharmaceutical or allied healthcare industry and their sales people or representatives.</p>   | <p><b>Gifts</b> more than Rs. 1,000/- up to Rs. 5,000/- : Censure</p> <p><b>Gifts</b> more than Rs. 5,000/- up to Rs. 10,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 3 (three) months.</p> <p><b>Gifts</b> more than Rs. 10,000/- to Rs. 50,000/- : Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 6(six) months.</p> <p><b>Gifts</b> more than Rs. 50,000/- to Rs. 1,00,000/- : Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 1 (one) year.</p> <p><b>Gifts</b> more than Rs. 1,00,000/-: Removal for a period of more than 1 (one) year from Indian Medical Register or State Medical Register.</p>   |
| <p>b) <b>Travel facilities:</b> A medical practitioner shall not accept any travel facility inside the country or outside, including rail, road, air, ship, cruise tickets, paid vacations etc. from any pharmaceutical or allied healthcare industry or their representatives for self and family members for vacation or for attending conferences, seminars, workshops, CME programme etc. as a delegate.</p> | <p><b>Expenses for travel facilities</b> more than Rs. 1,000/- up to Rs. 5,000/-: Censure</p> <p><b>Expenses for travel facilities</b> more than Rs. 5,000/- up to Rs. 10,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 3 (three) months.</p> <p><b>Expenses for travel facilities</b> more than Rs. 10,000/- to Rs. 50,000/-: Removal from Indian Medical Register or State medical Register for 6 (six) months.</p> <p><b>Expenses for travel facilities</b> more than Rs. 50,000/- to Rs. 1,00,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 1 (one) year.</p> <p><b>Expenses for travel facilities</b> more than Rs. 1,00,000/-: Removal for a period of more than</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | 1 (one) year from Indian Medical Register or State Medical Register.   |
| c) <b>Hospitality:</b> A medical practitioner shall not accept individually any hospitality like hotel accommodation for self and family members under any pretext.  | <p><b>Expenses for Hospitality</b> more than Rs. 1,000/- up to Rs. 5,000/-: Censure</p> <p><b>Expenses for Hospitality</b> more than Rs. 5,000/- up to Rs. 10,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 3 (three) months.</p> <p><b>Expenses for Hospitality</b> more than Rs. 10,000/- to Rs. 50,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 6 (six) months.</p> <p><b>Expenses for Hospitality</b> more than more than Rs. 50,000/- to Rs. 1,00,000/: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 1 (one) year.</p> <p><b>Expenses for Hospitality</b> more than Rs. 1,00,000/-: Removal for a period of more than 1 (one) year from Indian Medical Register or State Medical Register.</p> |
| d) <b>Cash or monetary grants:-</b> A medical practitioner shall not receive any cash or monetary grants from any pharmaceutical and allied healthcare industry for individual purpose in individual capacity under any pretext. Funding for medical research, study etc. can only be received through approved institutions by modalities laid down by law/rules/guidelines adopted by such approved institutions, in a transparent manner. It shall always be fully disclosed.   | <p><b>Cash or monetary grants</b> more than Rs. 1,000/- up to Rs. 5,000/-: Censure</p> <p><b>Cash or monetary grants</b> more than Rs. 5,000/- up to Rs. 10,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 3 (three) months.</p> <p><b>Cash or monetary grants</b> more than Rs. 10,000/- to Rs. 50,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 6 (six) months.</p> <p><b>Cash or monetary grants</b> more than Rs. 50,000/- to Rs. 1,00,000/-: Removal from Indian Medical Register or State Medical Register for 1 (one) year.</p> <p><b>Cash or monetary grants</b> more than Rs. 1,00,000/-: Removal for a period of more than 1 (one) year from Indian Medical Register or State Medical Register.</p>               |
| e) <b>Medical Research:</b> A medical practitioner may carry out, participate in, work in research projects funded by pharmaceutical and allied healthcare industries. A medical practitioner is obliged to know that the fulfillment of the following items (i) to (vii) will be an imperative for undertaking any research assignment/project funded by industry—for being proper and ethical. Thus, in accepting such a position a medical practitioner shall :-<br>(i) Ensure that the particular research proposal(s) has the due permission from the competent concerned authorities.<br>(ii) Ensure that such a research project(s) has the clearance of national/state/institutional ethics committees/bodies. | First time censure, and thereafter removal of name from Indian Medical Register or State Medical Register for a period depending upon the violation of the clause.   |

|  |  |
|--|--|
| <p>(iii) Ensure that it fulfils all the legal requirements prescribed for medical research.</p> <p>(iv) Ensure that the source and amount of funding is publicly disclosed at the beginning itself.</p> <p>(v) Ensure that proper care and facilities are provided to human volunteers, if they are necessary for the research project(s).</p> <p>(vi) Ensure that undue animal experimentations are not done and when these are necessary they are done in a scientific and a humane way.</p> <p>(vii) Ensure that while accepting such an assignment a medical practitioner shall have the freedom to publish the results of the research in the greater interest of the society by inserting such a clause in the MoU or any other documents/agreement for any such assignment.</p> |  |
| <p>f) <b>Maintaining Professional Autonomy</b> :- In dealing with pharmaceutical and allied healthcare industry a medical practitioner shall always ensure that there shall never be any compromise either with his/her own professional autonomy and/or with the autonomy and freedom of the medical institution.</p>   | <p>First time censure, and thereafter removal of name from Indian Medical Register or State Medical Register.</p>  |
| <p>g) <b>Affiliation</b>:- A medical practitioner may work for pharmaceutical and allied healthcare industries in advisory capacities, as consultants, as researchers, as treating doctors or in any other professional capacity. In doing so, a medical practitioner shall always:—</p> <p>(i) Ensure that his professional integrity and freedom are maintained.</p> <p>(ii) Ensure that patients interest are not compromised in any way.</p> <p>(iii) Ensure that such affiliations are within the law.</p> <p>(iv) Ensure that such affiliations/employments are fully transparent and disclosed.</p>   | <p>First time censure, and thereafter removal of name from Indian Medical Register or State Medical Register for a period depending upon the violaton of the clause.</p> |
| <p>h) <b>Endorsement</b>:- A medical practitioner shall not endorse any drug or product of the industry publically. Any study conducted on the efficacy or otherwise of such products shall be presented to and/or through appropriate scientific bodies or published in appropriate scientific journals in a proper way.</p>  | <p>First time censure, and thereafter removal of name from Indian Medical Register or State Medical Register.</p>  |

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c.

[ADVT.-III/4/Exty./100/347]

**Foot Note :** The Principal Regulations namely, “Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 6th April, 2002, and amended vide MCI notification dated 22/02/2003, 26/05/2004 & 10/12/2009.